कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F-12( )Sales/Allot/2022-23/ दिनांक :

विज्ञप्ति

पत्रकारों हेतु पूर्व मे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29-04-2013 एवं दिनांक 22-02-2013 को जारी आदेश के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों के अतिरिक्त पत्रकारों के आवासीय समस्या के समाधान हेतु नगर विकास प्रन्यास द्वारा राजस्व ग्राम वाड़ा आराजी संख्या 901 से 904, 945 से 949 एवं आराजी संख्या 917 से 920, 922, 944 में योजना बनाई जाकर प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जा रहा हैं। इस संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे बाद गुजरने मयाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(नितेन्द्र पाल सिंह)
सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

क्रमांकः F-12( )Sales/Allot/2022-23/ 4649 दिनांक : 27/3/23

प्रतिलिपिः–

1– लेखा शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को राज्य सरकार प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 14–03–2022 द्वारा जारी आदेश के क्रम में उक्त आम–सूचना का दैनिक समाचार–पत्र (दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका) में मिनिमम फोन्ट साईज 12 में प्रकाशन कर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति शाखा में भिजावें।

2– आई.टी, शाखा को भेजकर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति न्यास की वेबसाईट पर अपलोड करे।

सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज॰)

क्रमांक: F-12( )Sales/Allot/2022-23/ दिनांक :

विज्ञप्ति

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में बजट घोषणा के अन्तर्गत बिन्दू संख्या 229 वर्ष 2010–11 अनुसार पत्रकारों के आवासीय समस्या के समाधान हेतु रियायती दरों पर भूखण्ड अथवा मकान आवंटन हेतु नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के क्षेत्रधिकार में कार्यरत पत्रकारों से आवेदन पत्र न्यास द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 13–02–2012 को जारी की गई थी जिसमें नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र दिनांक 20–10–2010 की स्वीकृत के बिन्दू संख्या 3 में प्रवधान किया गया था कि **"यह प्रमाणित करने के लिए कि वह पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार हैं, संबंधित को अपने पत्र के संपादक द्वारा वर्तमान में पूर्णकालिक संवैतनिक पत्रकार होने के प्रमाण–पत्र के साथ भविष्य निधि खाते की रशिदे तथा नियोक्ता द्वारा स्त्रोत पर काटे जाने वाले आयकर का प्रमाण–पत्र फार्म–16 आयकर विभाग में भरे रिटर्न का प्रमाण पत्र देना होगा।"**

तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पत्र कमांक प.3(32)नविवि/3/2002–पार्ट दिनांक 29–04–2013 में अंकित किया गया है कि "भविष्य निधि खाते की रसिद और आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के स्थान पर भविष्य निधि खाते की रसिद अथवा आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी" इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र कमांक प.3(199)नविवि/3/201–पार्ट दिनांक 22–02–2013 से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को निर्देश प्रदान किये है कि **भविष्य निधि खाते की रसीद अथवा आयकर विवरण प्रस्तुत करने की शर्त रखने की छूट प्रदान की जाती हैं।**

पत्रकारों के लिए न्यास द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 13–02–2012 की निरन्तरता में न्यास द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 06–02–2023 को जारी की गई जिसके कम में 25–02–2023 तक फार्म जमा करवाये जाने थें।

उक्त आवेदनकर्ताओं को न्यास द्वारा राजस्व ग्राम वाड़ा आराजी संख्या 901 से 904, 945 से 949 एवं आराजी संख्या 917 से 920, 922, 944 में भूखण्ड आवंटित किये जाने हैं। इस संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे बाद गुजरने मयाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(नितेन्द्र पोल सिंह)
सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

क्रमांक: F-12( )Sales/Allot/2022-23/ 2647 दिनांक : 27/3/23

प्रतिलिपिः–

1– लेखा शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को राज्य सरकार प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 14–03–2022 द्वारा जारी आदेश के कम में उक्त आम–सूचना का दैनिक समाचार–पत्र (दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका) में मिनिमम फोन्ट साईज 12 में प्रकाशन कर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति शाखा में भिजावें।

2– आई.टी. शाखा को भेजकर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति न्यास की वेबसाईट पर अपलोड करे।